राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एंव पंचायती राज विभाग
(पंचायती राज विभाग)

क्रमांक : एफ 165(7)ले.ब./परावि/एसएफसी–7/2025–26/ जयपुर, दिनांकः–

मुख्य कार्यकारी अधिकारी/
अति0 मुख्य कार्यकारी अधिकारी,
जिला परिषद–समस्त।
विकास अधिकारी,
पंचायत समिति–समस्त।

विषयः– माननीय प्रधानमंत्री महोदय की उपस्थिति में दिनांक 21.04.2026 को पचपदरा, बालोतरा में **HRRL** रिफाइनरी के उद्घाटन कार्यक्रम का लाइव प्रसारण ग्राम पंचायत मुख्यालय पर देखने की समुचित व्यवस्था के संबंध मे।

संदर्भः– माननीय मुख्य सचिव महोदय, राजस्थान सरकार से प्राप्त आदेश क्रमांक 21566265 दिनांक 13.04.2026 एवं विभागीय राजकाज क्रमांक 21639390 दिनांक 17.04.2026 के क्रम में।

विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र के क्रम में लेख है कि दिनांक 21.04.2026 को माननीय प्रधानमंत्री महोदय की उपस्थिति में पचपदरा, बालोतरा में होने वाले **HRRL** रिफाइनरी के उद्घाटन कार्यक्रम का लाइव प्रसारण जिला, ब्लॉक व ग्राम पंचायत मुख्यालय पर समारोह आयोजित कर किया जाना है। उक्त कार्यक्रम के सीधे प्रसारण को ग्राम पंचायतों के मुख्यालय पर देखने की समुचित व्यवस्था की जानी है। इस हेतु विभागीय पत्रांक राजकाज रेफरेन्स 21639390 दिनांक 17.04.2026 द्वारा विस्तृत दिशा निर्देश दिये गये है।

उल्लेखनीय है कि षष्ठम राज्य वित्त आयोग अन्तर्गत पंचायती राज संस्थाओं को देय अनुदान के उपयोग हेतु पंचायती राज विभाग के पंत्राक 347 राजकाज क्रमांक 13247621 दिनांक 28.01.2025 द्वारा जारी दिशा–निर्देशो के बिन्दु संख्या–(अ)(3)(xiii) के अनुसार विशिष्ठ प्रावधान है।

अतः षष्ठम राज्य वित्त आयोग के तहत पंचायती राज संस्थाओं को देय अनुदान राशि के उपयोग के संबंध में जारी दिशा–निर्देश के बिन्दु संख्या (अ)(3)(xiii) के अंतर्गत दिनांक 21.04.2026 को माननीय प्रधानमंत्री महोदय की उपस्थिति में पचपदरा, बालोतरा में होने वाले **HRRL** रिफाइनरी के उद्घाटन कार्यक्रम का लाइव प्रसारण जिससे आमजन को सरकारी योजनाओं की जानकारी प्राप्त हो सके, को संबंधित ग्राम पंचायतों के मुख्यालय पर देखने की समुचित व्यवस्था यथा टी.वी./स्क्रीन/एलईडी व्यवस्था, फर्नीचर, टेन्ट, पेयजल व्यवस्थित बैठक व्यवस्था, समारोह स्थल पर इन्टरनेट कनेक्टीविटी की उपलब्धता एवं ग्राम पंचायत भवन पर स्थापित ई–मित्र प्लस मशीन के माध्यम से भी प्रसारण आदि से संबंधित व्यय हेतु षष्ठम् राज्य वित्त आयोग अन्तर्गत उपलब्ध अनुदान राशि से प्रति ग्राम पंचायत अधिकतम राशि 5,000/– के व्यय/उपयोग करने की सहमति प्रदान की जाती है।

यह सहमति वित्त विभाग की आई.डी. संख्या 332600669 दिनांक 19.04.2026 द्वारा अनुमोदित है।

Signature Not Verified
(डॉ. जोगाराम)
Digitally signed by Joga Ram
शासन सचिव एवं आयुक्त
Designation : Commissioner
Date: 2026.04.19 17:36:22 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No.: 21683465

M e-Sign

क्रमांक : एफ 165(7)ले.ब./परावि/एसएफसी–7/2025–26/ जयपुर, दिनांकः–

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. अतिरिक्त मुख्य सचिव, माननीय मुख्यमंत्री, राजस्थान, जयपुर।
2. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री महोदय, पंचायतीराज विभाग।
3. विशिष्ट सहायक, माननीय राज्यमंत्री महोदय, पंचायतीराज विभाग।
4. संयुक्त सचिव, मुख्य सचिव महोदय, राजस्थान सरकार।
5. निजी सचिव, शासन सचिव महोदय, ग्रामीण विकास विभाग।
6. निजी सचिव, शासन सचिव एवं आयुक्त महोदय, पंचायतीराज विभाग।
7. निजी सचिव, शासन सचिव महोदय, सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग, जयपुर।
8. निजी सहायक, वित्तीय सलाहकार, पंचायतीराज विभाग।
9. उपायुक्त एवं संयुक्त शासन सचिव–द्वितीय, पंचायतीराज विभाग।
10. अधीक्षण अभियंता (प्रोजेक्ट), पंचायती राज विभाग।
11. संयुक्त शासन सचिव, आयोजना।
12. संयुक्त निदेशक (मॉनिटरिंग), पंचायती राज विभाग।
13. एनालिस्ट कम प्रोग्रामर, कम्प्यूटर सेल, विभाग की बेवसाइट पर अपलोड करने हेतु।

Signature Not Verified

Digitally signed by Joga Ram
Designation : Commissioner
Date: 2026.04.19 17:36:22 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No.:
21683465

M e-Sign